उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्याः /xxvii(7)46–2017/2016
देहरादून, दिनांकः२२ फरवरी, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के पत्र संख्याः 70/III-B/उ0रा0वि0से0प्रा0/2018, दिनांक 12 जनवरी, 2018 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में शासनादेश सँख्याः 237/XXVII(7)46-207/2016दिनांक 10 अक्टूबर, 2016 एवं शासनादेश सँख्याः 141/XXVII(7) 46-207/2016 दिनांक 25 जुलाई, 2017 को अधिक्रमित करते हुए स्थायी लोक अदालत देहरादून के आहरण वितरण के कार्यो के सुचारू रूप से सम्पादित करने के दृष्टिगत शासनादेश संख्याः बी–1–1704/दस–1999 दिनांक 21 अप्रैल, 1999 में दिये गये प्राविधानों के अधीन कॉलम–2 में उल्लिखित कार्यालय के लिये कॉलम–3 में इंगित पूर्णकालिक एवं नियमित रूप से नियुक्त अधिकारी को कॉलम–4 में अंकित कोषागार में आहरण हेतु आहरण वितरण अधिकारी घोषित किया जाता हैः–

क0सं0	स्वीकृत कार्यालय का नाम	आहरण वितरण अधिकारी	कोषागार
1	2	3	4
1.	स्थायी लोक अदालत, अल्मोड़ा।	अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, अल्मोड़ा।	कोषाागार अल्मोड़ा।
2.	स्थायी लोक अदालत, देहरादून।	अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, देहरादून।	कोषागार देहरादून।
3.	स्थायी लोक अदालत, नैनीताल।	अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, नैनीताल।	कोषागार नैनीताल।
4.	स्थायी लोक अदालत, हरिद्वार।	अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, हरिद्वार।	कोषागार हरिद्वार।
5.	स्थायी लोक अदालत, पौड़ी गढ़वाल।	अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, पौड़ी गढ़वाल।	कोषागार पौड़ी गढ़वाल।
6.	स्थायी लोक अदालत, टिहरी गढ़वाल।	अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, टिहरी गढ़वाल।	कोषागार टिहरी गढ़वाल।
7.	स्थायी लोक अदालत, उधमसिंह नगर।	अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, उधमसिंह नगर।	कोषाागार, उधमसिंह नगर।

2. उक्त आहरण–वितरण अधिकारी क्रमांक सॅ0–02 में अंकित कार्यालय हेतु आवंटित कोड से ही आहरण वितरण का कार्य करेंगे।

3. सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर व्यय विवरण के प्रेषण की सूचना तथा महालेखाकार से लेखों का मिलान सुनिश्चित किया जायेगा।

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्याः 35 (1)/xxvii(7)2018/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2—सदस्य—सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।
3—प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन।
4—महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
5—निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
6—समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/देहरादून/नैनीताल/हरिद्वार/पौड़ी/टिहरी/ उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
7—आडिट प्रकोष्ठ, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8—एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9—गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

प्रशान्त जोशी
सदस्य–सचिव
(जिला एवं सत्र न्यायाधीश)

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
एडी०आर० भवन, उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल–263001

सेवा में,

अध्यक्ष,
स्थायी लोक अदालत,
देहरादून / हरिद्वार / नैनीताल / ऊधमसिंह नगर।

संख्याः– 257 /III-B-2009-10/उ०रा०वि०से०प्रा० / 2018, दिनांकः–07 मार्च, 2018

विषयः– **अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत को कार्यालय स्थायी लोक अदालत का आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि मा0 कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन ने कार्यालय ज्ञाप सख्याः 35 / xxvii(7)46–2017 / 2016, दिनांकित 22 फरवरी, 2018 के द्वारा अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत को कार्यालय स्थायी लोक अदालत का आहरण वितरण अधिकारी नामित किया गया है। **(प्रतिलिपि संलग्न)**

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझ अधोहस्ताक्षरी को माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा यह कहने का निदेश प्राप्त हुआ है कि उपरोक्त अंकित वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सख्याः 35 / xxvii(7)46–2017 / 2016, दिनांकित 22 फरवरी, 2018 के अनुक्रम में अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत अपने आहरण एवं वितरण अधिकारों का निर्वहन तत्काल प्रभाव से नियमानुसार एवं मितव्ययता के साथ सुनिश्चित करने का कष्ट करेंगे।

सादर।

भवदीय,

(प्रशान्त जोशी)

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

संख्याः– /III-B-2009-10/उ०रा०वि०से०प्रा० / 2018, दिनांकः– मार्च, 2018

प्रतिलिपिः– जिला जज / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून / हरिद्वार / नैनीताल / ऊधमसिंह नगर को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रशान्त जोशी)